


सहायक कलक्टर माण्डल

145
2

पजावली पेशा डर्स वकील पाथीगण उपस्थित ।
विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर जिन एडिसे
प्राप्त हुए जिनसे शा. फा किया गया । विपक्षीगण को बितकी
द्वार कक-कक कर आवाणे दिलायी जाने के बाद भी उपर
नहीं । उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का
आदेश दिया जाता है । वकील पाथीगण का प्राप्ति स्वीकार
किया जाकर निर्णय सूचक से लिखा जाकर शा. फा
किया गया । पजावली के लल शुमार होकर अम्बर से
रुम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

राज्य सरकार - राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - गनोज, आर.प.परा.
मुकदमा संख्या - 81/24 प्राप्पत्र

1- श्रीमती दशरथ कंठर पं० श्री मनोहर सिंह राणपूत निवासी - गुडा तहसील - भाण्डल (मुंरो)

प्राची

1- श्रीमती सोरनी पं० श्री लालु सेन निवासी - गुडा तहसील - भाण्डल (मुंरो)
(संबंधित पत्र संलग्न)

- विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24

आदेश:-

प्राची की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडा पटवार हल्का संतोफपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 843/499 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.6323 हेक्टेयर रिथत है। यादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिदा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राची अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.04.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि यादग्रस्त भूमि प्राची एवं उसके काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश:-

प्राची का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुडा पटवार हल्का संतोफपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 843/499 कुल कित्ता 0.1 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु नू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षाकरण की भौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राची द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवरा में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल